



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश
8 अरेरा हिल्स, भोपाल



क्रमांक/एनएचएम/एचआर/2020/5848

भोपाल, दिनांक 21/03/2020

प्रति,

समस्त जिला कलेक्टर
एवं अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति।

विषय:—COVID -19 महामारी की रोकथाम हेतु जिला कलेक्टर को आवश्यक मानव संसाधन सुनिश्चित करने हेतु शक्ति के प्रत्यायोजन के संबंध में।

संदर्भ:—भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक D.O. No. Z.-18-10/NHM-I/Part dated 231st March, 2020.

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि COVID -19 के नियंत्रण के लिए जिलों में रेपिड रिस्पॉन्स टीम तथा चिकित्सालय में ICU एवं आईसोलेशन वार्ड इत्यादि में आवश्यक मानव संसाधन की व्यवस्था के लिए जिला स्तर पर निम्न प्रकार से अधिकार प्रत्यायोजित किये जाते हैं :-

1. जिला कलेक्टर समस्त आवश्यक चिकित्सकीय सेवाओं के लिए सेवानिवृत्त चिकित्सक, स्टाफ नर्स एवं बहुउद्देशीय कार्यकर्ता एवं अन्य आवश्यक स्टाफ की पदस्थी कर सकेंगे।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिले में चिकित्सकों को आवश्यकतानुसार विज्ञापन जारी करते हुए वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से पदस्थ कर सकेंगे।

उपरोक्त अधिकार COVID -19 के नियंत्रण हेतु प्रदाय किये जा रहे हैं। अतः यह उक्त व्यवस्था 3 माह हेतु होगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्ति पूर्व सभी आवश्यकताओं का आंकलन करते हुए आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाये को प्रतिवेदित करेंगे।

(स्वाति मीणा नायक)

मिशन संचालक,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म0प्र0

भोपाल, दिनांक /03/2020

क्रमांक/एनएचएम/2020/

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव, मप्र शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय
2. आयुक्त स्वास्थ्य, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. संचालक वित्त, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन।
4. समस्त संभागीय क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें।
5. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की ओर भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

मिशन संचालक,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म0प्र0